(71)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

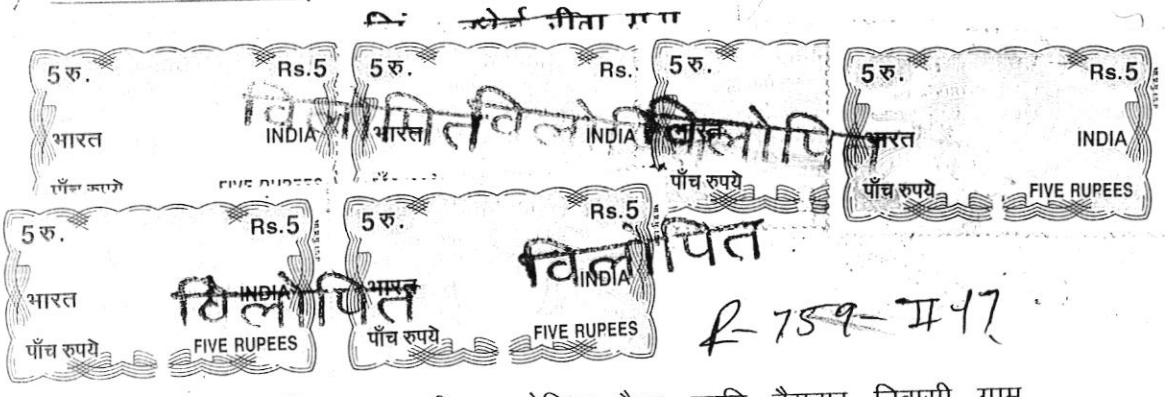

R-759-II/17

कुबेर लाल पिता स्व. श्री रामगोविन्द वैश्य जाति वैसवार निवासी ग्राम सिद्धीकला तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र

..........................**आवेदक / निगरानीकर्ता**

श्री .... द्वारा आज दि. 2.3.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2.3.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन

..........................**अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सिंगरौली के प्र.क्र. 67अ74 / 2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 संलग्न नायब तहसीलदार तहसील सिंगरौली वृत्त शासन के प्र.क्र. 10 / अ74 / 15–16 पारित प्रतिवेदन दिनांक 22.10.2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

मुझ निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है:–

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

1. मौजा सिद्धीकला की आराजी नं. पुराना 136 / 2 रकवा 0.60 ए., 504 रकवा

कुबेरलाल

क्रमश:.................2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

निगरानी प्रकरण कमांक 759–दो/2017 जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
03–08–18	निगरानीकर्ता के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 67 अ 74/2016–17 में दिनांक 4–1–2017 को नायव तहसीलदार तहसील सिंगरोली को दिये गये मार्गदर्शन पर से प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 52 अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–3–2015 से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत दिया गया आवेदक का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार सिंगरोली को आदेश दिया कि वह परीक्षण करें कि आदेश दिनांक 12–3–2015 में अंकित भूमि वर्तमान में किसी परियोजना में अधिग्रहीत तो नहीं है अथवा ग्राम पंचायत के किसी योजना में तो प्रभावित नहीं है और यह भी परीक्षण करें कि प्रश्नांकित भूमियों पर किसी आदिवासी एंव गैर आदिवासी का तो कब्जा नहीं है। यदि कब्जा पाया जाता है तो कलेक्टर महोदय से अनुमति उपरांत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस आदेश के कियान्वयन हेतु आवेदक व्दारा आवेदन देने पर नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 10 अ 74/15–16 पॅजीबद्व किया तथा आवेदक एंव आपत्तिकर्ता को सुनकर आर्डरशीट दिनांक 22–10–16 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 4–1–2017 से नायव तहसीलदार	

तहसील सिंगरोली को मार्गदर्शन दिया है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा दिये गये इसी मार्गदर्शन पर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में निगरानी के तथ्यों पर तथा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 52 अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–3–2015, नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ 74/15–16 में लिखी गई आर्डरशीट दिनांक 22–10–16, अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली व्दारा आर्डरशीट दिनांक 4–1–2017 से नायव तहसीलदार तहसील सिंगरोली को दिये गये मार्गदर्शन में आये तथ्यों पर विचार किया गया। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने आदेश दिनांक 12–3–2015 में ग्राम सिद्वीकलॉ की भूमि खसरा कमांक 244/1 रकबा 0.24 है पुराना नंबर 136, खसरा नंबर 995/1 रकबा 1.38 है. पुराना नंबर 504 खसरे में भूमिस्वामी मध्य प्रदेश शासन , आराजी नंबर 1091/1 रकबा 0.75 ह. पुराना नंबर 516 भूमिस्वामी मध्य प्रदेश शासन तथा सर्वे नंबर 136/2 रकबा 0.60, 504 रकबा 2.00 है. , 516 रकबा 1.87 है कुल किता 3 कुल रकबा 4.47 है. के संबंध में इस प्रकार निर्णय दिया है :–

" आवेदक का आवेदन पत्र इस संशोधन के साथ स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सिद्वीकला की पुरानी आराजी कमांक 136 से नया नंबर 244/1 – 0.24 है. , 504 से नया नंबर 995/1 – 1.38 है. एंव 516 से नया नंबर 1991/1 रकबा 0.75 है. निर्मित किया गया। बंदोवस्त में आराजी नंबर 244/1– 0.24, 995/1 – 1.38 है., एंव 1091/1 एंव 1091/1 – 0.75 है. म0प्र0 शासन दर्ज अभिलेख हो गया है। आवेदक का कब्जा भूमि 244/1, 995/1 एंव 1091/1 पर वर्ष 1958–59 के पूर्व से चला आ रहा है। बंदोवस्त के दौरान री–नंबर सूची

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

निगरानी प्रकरण कमांक 759–दो/2017 जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	के अनुसार नवीन खसरा कमांक 244, 995 एंव 1091 तैयार किया गया है। मौके पर पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक का कब्जा है। बंदोवस्त से पुरानी आराजी 136, 504, 516 से निर्मित नवीन नया नंबर244/1– 0.24, 995/1 – 1.38 है., एंव 1091/1 एंव 1091/1 – 0.75 है म.प्र.शासन के स्वत्व में अभिलेख त्रृटि के कारण तैयार किया गया है। '' वर्ष 1958–59 के वाद से निरन्तर मध्य प्रदेश शासन के नाम से दर्ज चली आ रही भूमियों पर आवेदक व्दारा वर्ष 2014–15 में बंदोवस्त की त्रृटि सुधार का सहारा लेकर आवेदन दिया है जो वर्ष 1958–59 के वाद वर्ष 2014 अर्थात 54 वर्ष के विलम्ब पर आधारित है । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12–3–15 पारित करके 54 वर्ष के अनुचित विलम्ब पर विचार न करते हुये मध्य प्रदेश शासन के नाम की भूमियों के पूर्व वर्षो के खसरों में अपलेखन करने आशॅका की जांच किये बिना आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास करना प्रतीत होता है, यह तथ्य आशंका पर आधारित होने से विचार योग्य है क्या .राजस्व मण्डल के समक्ष उक्तानुसार तथ्य उजागर होने पर विचाराधीन निगरानी में उक्त तथ्य को विचार कर निर्णीत किया जा सकता है ? 1. राकेशकुमार तिवारी विरूद्व श्रीकृष्ण गुगोरिया एंव अन्य 2006 रा.नि. 313 में बताया गया है राजस्व मण्डल अपील या पुनरीक्षण याचिक की सुनवाई करते समय किसी भी प्रकरण में पारित किये गये आदेश की अवेधानिकता और असंगतता को देख सकेगा। 2. सौदान सिंह विरूद्व म.प्र.राज्य 1986 रा0नि0 1 = 1986 **MPLJ** 363 का न्याय दृष्टांत है कि पुनरीक्षण शक्तियां विवादित आदेशों पर विचार किये जाने तक ही सीमित नहीं है। राजस्व अधिकारी व्दारा पारित ऐसे आदेश की बैधता का भी परीक्षण इसके अंतर्गत किया जा सकता है। 3. रामप्रसाद विरूद्व संभागीय आयुक्त (राजस्व) 20154 रा.नि. 568 में	

बताया गया है कि राजस्व मण्डल केवल आक्षिप्त आदेश की नहीं, अपितु निचले न्यायालय व्दारा पारित सभी आदेशों की अवैधता तथा अनौचित्य पर विचार कर सकता है तथा उसे ठीक कर सकता है।

जब मामले के परीक्षण पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 52 अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–3–2015 दूषित होना पाया गया है, तब ऐसा आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के नाम पर **वर्ष 1958–59 से वर्ष 2014 अर्थात 54 वर्ष** तक निरन्तर दर्ज चली आ रही उक्त विवेचित भूमियों को अनुविभागीय अधिकारी ने 54 वर्ष वाद निजी व्यक्तियों के नाम की होना निरूपित करके आदेश दिनांक 12–3–15 पारित करने में त्रृटि की है।

5/ जहां तक उप खंड अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 67 अ–74/ 2016–17 में दिनांक 4–1–2017 से नायव तहसीलदार सिंगरोली को दिये गये मार्गदर्शन का प्रश्न है ? उप खंड अधिकारी सिंगरोली व्दारा दिया गया मार्गदर्शन दिनांक 4–1–2017 उक्त के प्रकाश में स्पष्ट है जिसमें किसी प्रकार के फेर–बदल की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर उप खंड अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 67 अ–74/2016–17 में दिनांक 4–1–2017 को आर्डरशीट लिखकर नायव तहसीलदार सिंगरोली को दिया गया मार्गदर्शन उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है। इस आदेश की एक प्रति आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को तत्का. अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 12–3–2015 के कम में कार्यवाही पर विचार हेतु भेजी जावे।

सदस्य